डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन/डिस्पेच दिनांक 1 जुलाई, 2019

| वर्ष 63 | अंक 03 | भोपाल | 1 जुलाई, 2019 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

साँची उत्पाद की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक मानसिकता से काम करने की जरूरत : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा साँची ब्राँड के 6 नये उत्पादों का लोकार्पण

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के साँची ब्राँड के 6 नये उत्पादों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि साँची उत्पाद की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक मानसिकता से काम करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाएँ हैं। इसके जरिए हम गाँव–गाँव में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि साँची ब्राँड से बनने वाले दुध उत्पादों को लोगों तक पहुँचाने और उन्हें अपनाने के लिए आज की बाजार नीति का अनुसरण करना चाहिए।

मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित 6 नये दुग्ध उत्पाद में नारियल बर्फी, व्हे ड्रिंक, कॉफी प्रिमिक्स, कुकिंग बटर, गुलाब जामुन मिक्स तथा कॉम्बो पेक शामिल है। नारियल बर्फी शुद्ध घी में बनाई जाती है। वहीं व्हे ड्रिंक 200 एमएल के बॉटल में पाइन एप्पल तथा मेंगो फ्लेवर में उपलब्ध रहेगा। यह ड्रिंक युवा खिलाड़ियों और जिम जाने वालों के लिए उपयोगी है। कॉफी प्रिमिक्स 20 ग्राम एवं 1 किलो के पेक में उपलब्ध है। कुकिंग बटर 200 एवं 500 ग्राम के पेक में तथा गुलाब जामुन मिक्स 200 ग्राम के पेक में उपलब्ध है। कॉम्बो गिफ्ट पेक में तीन तरह की मिठाईयाँ मिल्क के पेड़ा, नारियल बर्फी शामिल हैं। यह पेक त्यौहारों पर गिफ्ट पेक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

लोकार्पण के मौके पर पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह, अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ श्री प्रमोद गुप्ता एवं महाप्रबंधक श्री आर.पी.एस. तिवारी उपस्थित थे।

किसानों द्वारा खरीदी केन्द्रों पर तुलवाई कृषि उपज का तुरंत भण्डारण करायें

सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने की ऋण माफी, फसल बीमा, खाद–बीज वितरण की समीक्षा

भोपाल। सहकारिता, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने श्योपुर जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट–कार्ड योजना और खाद–बीज वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। डॉ. सिंह ने निर्देश दिये कि बारिश के मौसम को देखते हुए खरीदी केन्द्रों पर किसानों द्वारा तुलवाई जा रही कृषि उपज का तुरंत भण्डारण सुनिश्चित करें। उपार्जित स्कंध का शत–प्रतिशत परिवहन करायें। किसानों को उनसे क्रय की गई उपज का भुगतान भी तुरंत करवायें।

मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि खाद–बीज वितरण की व्यवस्था सहकारी सोसायटी के माध्यम से की जाये। जिले में शिविर आयोजित कर बैंक और विभागीय अधिकारी मिलकर किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करायें। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को क्रेडिट–कार्ड जारी नहीं हुए हैं, उन्हें तुरंत क्रेडिट–कार्ड जारी करायें, जिससे वे अगली फसल की तैयारी कर सकें। डॉ. सिंह ने चालू खरीफ सीजन के लिये अग्रिम भण्डारण के लक्ष्य को अर्जित करने के निर्देश दिये।

कृषि उपज की लागत वृद्धि पर निर्धारित हो समर्थन मूल्य

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बैठक में मंत्री श्री यादव

भोपाल। किसान–कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की पश्चिमी जोन के लिये रबी विपणन वर्ष 2020–21 में मूल्य निर्धारण संबंधी बैठक में कहा कि उपज के लागत मूल्य में लगातार वृद्धि के अनुसार समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना चहिये।

साथ ही, कृषि संबंधी ऐसी तकनीकों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये, जिससे लागत में कमी आये।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि किसानों के हित संवर्धन में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिये किसानों से वास्तविक स्थिति जानकर ही उपज के लागत मूल्य का सटीक आकलन करते हुए केन्द्र सरकार को मूल्य निर्धारण के लिये प्रस्ताव भेजें, ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके।

प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी ने कहा कि आयोग के माध्यम से वास्तविक लागत–लाभ विश्लेषण के बाद उपज का संतुष्टिदायक मूल्य निर्धारित किया जाना है। सीएसीपी के चेयरमेन श्री विजय पॉल शर्मा ने बताया कि आयोग, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये निर्यात को बढ़ावा देने तथा दलहन–तिलहन के आयात में कमी लाने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।

वचन–पत्र के सहकारी संस्थाओं के मुद्दों पर कार्यवाही के लिए समिति गठित

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा वचन–पत्र मेंसहकारी संस्थाओं के कर्मियों को पृथक कैडर गठित कर बेहतर सुविधाएँ देने के मुद्दे पर कार्यवाही के लिये समिति गठित की है। सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार इस दस सदस्यीय समिति में श्री भगवान सिंह यादव ग्वालियर, श्री नन्हे सिंह धुर्वे जबलपुर, श्री दीपक सक्सेना छिन्दवाड़ा, श्री यादवेंद्र सिंह टीकमगढ़, श्री रामेश्वर पटेल इंदौर, श्री उदय प्रताप सिंह भिण्ड, श्री चन्द्रिका द्विवेदी छतरपुर और अपर पंजीयक (स्थापना) सहकारी संस्थाएँ भोपाल, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक शामिल हैं। संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, (साख) मुख्यालय भोपाल समिति के संयोजक होंगे। यह समिति पंजीयक और आयुक्त सहकारी संस्थाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने नई कार्य-संस्कृति की नींव रखी

कमल नाथ सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान कार्य संस्कृति को नए सिरे से परिभाषित और स्थापित किया है। यह संस्कृति योग की है। छह माह में एक जवाबदार–जिम्मेदार सरकार चलाते हुए मुख्यमंत्री कमल नाथ ने सिर्फ काम करके दिखाया है। महंगे समारोहों और स्व–प्रचार का मोह न पालकर उन्होंने यह बताया कि मूल काम जनता की सेवा है। उन्हें सिर्फ काम करना पसंद है।

मध्यप्रदेश में गरिमामय कार्य संस्कृति की नींव 17 दिसम्बर 2018 को रखी गई जब श्री कमल नाथ ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे अनुभवी और उन नेताओं में से एक है, जो विकास और विजन की पहली सीढ़ी चढ़कर अंतिम सीढ़ी तक जाना जानते हैं। खाली खजाने के बीच उन्होंने बहुत शालीनता और खामोशी के साथ बीस लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। यह उनका पहला वचन था जो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद सम्हालते ही पूरा किया। समारोह और यात्राओं से दूर रहकर कमल नाथ जी काम में विश्वास किया। वे आत्म प्रचार से दूर हैं।

किसान की समृद्धि

इतिहास की सबसे बड़ी कर्ज माफी के बाद मुख्यमंत्री कमल नाथ ने इसे किसानों की खुशहाली नहीं राहत देने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि खुशहाली तब किसानों के चेहरे पर आएगी जब उसमें अधिक उत्पादन का पूरा उपयोग हो और किसानों को अपनी लागत का दोगुना मूल्य मिले। ऋण माफी के बाद उन्होंने समर्थन मूल्य से प्रति क्विंटल 160 रुपये अधिक देकर किसानों को उनकी उपज का उचित दाम देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। इससे 18 लाख किसान लाभान्वित हुए। इस साल प्याज उत्पादक किसानों को पिछले साल की तरह अपनी प्याज सड़क पर नहीं फेंकना पड़ी क्योंकि कमल नाथ सरकार ने समय रहते मुख्यमंत्री कृषक–प्याज प्रोत्साहन योजना में भावांतर योजना के जरिए किसानों से प्याज खरीदने का इंतजाम कर दिया। लगभग ढाई लाख मीट्रिक टन प्याज का मंडी में विक्रय किया गया। भावांतर योजना में अंतर की 514 करोड़ की राशि 2 लाख 60 हजार से अधिक मक्का किसानों के बैंक खातों में जमा की गई।

युवाओं को अवसर

बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए पहले दिन से चिंतित कमल नाथ सरकार ने सरकार में आते ही युवाओं से किए गए वचन को निभाया। युवा स्वाभिमान योजना शुरू कर युवाओं को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी। इससे युवाओं को 4000 रुपये वजीफा और कौशल विकास का प्रशिक्षण मिलना शुरू हो गया। जिससे 6 लाख 50 हजार से अधिक युवा लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 39 हजार 939 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं।

निवेश के लिए विश्वास का वातावरण

अब मध्यप्रदेश में औद्योगिक और निवेश सिर्फ नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। सरकार में आते ही प्रदेश और युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। अब प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के युवाओं को देना जरुरी है।

हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक पहल और की जिससे जिन निवेशकों का मध्यप्रदेश में विश्वास कम हो चला था उसकी वापसी हुई। मात्र सात दिन में रुपये 6 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 6 हजार करोड़ से अधिक के इस निवेश से प्रदेश के 7600 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन्दौर में कन्फेशनरी क्लस्टर, जबलपुर में मिष्ठान एवं नमकीन क्लस्टर और चार प्रमुख टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दी गई है। यह ऐसे फैसले हैं जो प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को न केवल बढ़ायेंगे बल्कि इससे प्रदेश पर लगे बेरोजगारी के दाग को मिटाने में भी मदद मिलेगी।

ऊर्जा

ऊर्जा के नकली संकट से उबरने के लिए कमल नाथ सरकार ने जो दृढ़इच्छा शक्ति दिखलाई उससे उन लोगों के मंसूबे ध्वस्त हो गए जो सरकार को बदनाम करने के लिए हद दर्जे से नीचे गिर गए थे। अघोषित बिजली कटौती पर सख्ती से रोक लगाते हुए मेंटेनेंस के लिए की जाने वाली घोषित कटौती की सूचना समय पूर्व और उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा 16.2 प्रतिशत अधिक बिजली की माँग की पूर्ति की गई। बिजली समस्या और शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए कॉल सेंटर की संख्या भी बढ़ाई गई।

वचन–पत्र के मुताबिक इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 यूनिट खपत करने पर 100 रुपये का बिजली बिल देने का निर्णय लागू हुआ। इससे 62 लाख बिजली उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। इंदिरा किसान ज्योति योजना में वचन के मुताबिक कृषि पंपों का बिल आधा करने से 18 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

पानी का अधिकार

पानी का अधिकार एक बड़ा निर्णय है, जो व्यक्ति की तीन–चार बुनियादी जरूरतों में से एक की पूर्ति की दशा में आने वाले समय में नजीर बनेगा। पानी की उपलब्धता लोगों का अधिकार बने, इसके लिए 'राइट टू वाटर' एक्ट मध्यप्रदेश में बनने जा रहा है।

शा. भूमि उपयोग का अधिकार

रोजगार देने और गौ–पालन संरक्षण की दिशा में कमल नाथ सरकार ने बीते छह माह में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया वह था उद्यानिकी फसलों के लिए बेरोजगारों को शासकीय भूमि के उपयोग का अधिकार देने का। इसी तरह जो व्यक्ति या संस्था गौ–शाला खोलेगी उसे भी शासकीय भूमि के उपयोग का अधिकार सरकार देगी। इससे जहाँ एक ओर हमारे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा वहीं गौ–माता के संरक्षण के लिए स्थान उपलब्ध होगा।

बीते छह माह में कमल नाथ सरकार द्वारा लिए गए फैसले और किए गए कामों की एक लम्बी फेहरिस्त है। इन फैसलों से प्रदेश का हर वर्ग प्रभावित हुआ है उसके जीवन में बदलाव की एक नई दस्तक दिखलाई देती है। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि छह माह में किसी सरकार के कामकाज का आकलन नहीं किया जा सकता। फिर भी यह कहा जा सकता है कि कमल नाथ सरकार ने छह माह में जिस तेजी से काम किया है, वह प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता है कि आने वाले 5 साल बेहतरी के होंगे, खुशहाली के होंगे, तरक्की के नए शिखर पर को प्रदेश छुएगा और सच्चे अर्थों में मध्यप्रदेश समृद्ध होगा।

मनोज पाठक

डिजिटल इंडिया और सहकारिता

आजकल डिजिटल माध्यम जैसे पेटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बेकिंग आदि का उपयोग भुगतान हेतु अधिक मात्रा में किया जाता है। सरकार द्वारा नकदी रहित भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिये कई लाभकारी घोषणाऐं भी की गई। सरकार द्वारा ई–गर्वनेस को बढावा देते हुए अधिकांश योजनाएं ऑनलाईन कर दी गई व सारे भुगतान भी ऑनलाईन किये जाने लगे। इसके लिये सरकार द्वारा जनधन खाते भी खोले गये। यह अर्थव्यवस्था के लिये अच्छा कदम है लेकिन इसको पूरी तरह लागू करने में अभी भी कई समस्याएं आ रही है।

वस्तुतः सरकार तीन पीढ़ी को एक साथ डिजिटल करना चाहती है। पहली पीढ़ी वर्ष 1990 के बाद की है जिसने कम्प्यूटर, मोबाईल व इंटरनेट का भरपूर उपयोग किया है व उसे डिजिटल होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह पीढी बचत में विश्वास नहीं रखती है। दूसरी पीढ़ी वर्ष 1965 से 90 के बीच की है जिन्होंने सिर्फ लेंडलाईन फोन का ही उपयोग किया था, वह हिचकिचाते हुए डिजिटल होने का प्रयास कर रही है व आवश्यकता होने पर ही खर्च करती है। तीसरी पीढी वर्ष 1965 से पूर्व की है जिनके पास खुद का लेंडलाईन फोन भी नही था और यही पीढी डिजिटल होने में

विश्वास नहीं करती। उसे अभी भी कागज पर ही भरोसा है ओर उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। सहकारिता से जुडे किसान व कर्मचारी इसी तीसरी पीढी से आते है। उन्हे कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, इंटरनेट व ऑनलाईन कार्य करने में दिक्कत आ रही है। सहकारिता का आधार ग्रामीण जनता है। गांव में अभी भी नेट कनेक्शन, सर्विस सेंटर, बिजली व प्रशिक्षण केन्द्रो की समस्या है। उन्हे हर कार्य के लिये शहर आना होता है। ग्रामीण जनता अभी भी अशिक्षित व अल्पशिक्षित है। उन्हे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नही है। कम आमदनी वाले लोगों को छोडकर बाकी सभी के लिये डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत उपयोगी है व इससे ई–कॉमर्स को भी बढावा मिल रहा है।

सहकारिता क्षेत्र में अपेक्स बैंक व जिला सहकारी बैंक ऑन लाईन कार्य करने लगे है व कई जगह इनके एटीएम भी खुल गये है। पेक्स को भी ऑन लाईन करने का कार्य प्रगति पर है। पीडीएस, खाद्धान्न की खरीदी व खाद बीज की बिक्री में डिजिटल माध्यमों का उपयोग हो रहा है। किसानों को रूपे कार्ड भी दिये गये है लेकिन आइडेंटिटी चोरी की समस्या बनी हुई है। इसको रोकने के लिये बायोमेट्रिक सिस्टम अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। सायबर अपराधियों द्वारा ग्रामीण जनता को लक्ष्य बनाकर सायबर अपराध किये जा रहे है जिसकी सुनवाई का सिस्टम व्यवस्थित नहीं है। प्रशिक्षण के माध्यम से आम जनता को जागरूक करना अनिवार्य आवश्यकता है।

शिरीष पुरोहित, कम्प्यूटर प्रशिक्षक
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर

मध्यप्रदेश में अब घोषणा नहीं, काम करने वाली सरकार : मुख्यमंत्री श्री नाथ

मुख्यमंत्री द्वारा झाबुआ में 'स्कूल चलें हम' अभियान का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि प्रदेश में अब घोषणा करने वाली नहीं, काम करने वाली सरकार है। यह सरकार पहले दिन से हर वर्ग के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ''स्कूल चलें हम'' अभियान का शुभारंभ किया और 700 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में नव–दम्पत्तियों को आशीर्वाद दिया।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि हम अपने वायदों को पूरा करने तेजी से काम कर रहे हैं। यह पहली सरकार है जिसने पहले दिन से जनता से किए गए वायदों पर काम करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्नदाता किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर हमने प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी योजना को ऐसी स्थिति में पूरा किया, जब पूर्ववर्ती सरकार पूरा खजाना खाली छोड़कर गई थी।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी मात्र राहत है। हमारा लक्ष्य तो किसानों के जीवन में खुशहाली लाना है। श्री नाथ ने कहा कि नौजवानों को रोजगार देना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। युवा स्वाभिमान योजना के जरिए शहरी युवाओं को 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार की संभावना वाले निवेश को प्रोत्साहित करने की कोशिश हमारी जारी है और कई क्षेत्रों में हम सफल हुए हैं। जो उद्योग स्थानीय स्तर पर 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, हम उन्हें ही सुविधाएँ उपलब्ध करवाएंगे।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण की शुरूआत

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने झाबुआ में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों को फसल ऋण माफी के प्रमाण–पत्र वितरित किए। दूसरे चरण में 6,930 किसानों के 49.87 करोड़ के फसल ऋण माफ होंगे। पहले चरण में 46,419 किसानों के 212.50 करोड़ के ऋण माफ किए गए है।

हर बच्चा स्कूल जाए

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम सभी का यह दायित्व है कि हर बच्चा स्कूल जाए। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश को शिक्षित राज्य बनाना है। शिक्षा ही हर व्यक्ति के जीवन में उन्नति लाती है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार ने सारे इंतजाम किए हैं। जरूरत इस बात की है कि शिक्षक और समाज के जागरूक लोग और जन–प्रतिनिधि हर बच्चे को स्कूल तक पहुँचाएँ और उनके अभिभावकों को प्रेरित करें कि उनका बच्चा स्कूल जाए।

बच्चों को साइकिल वितरित

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अभियान का शुभारंभ करते हुए स्कूली बच्चों को 3,125 साइकिलें वितरित की। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के प्रचार रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने पौधा–रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्री नाथ ने स्कूली बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया तथा खेल और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया।

700 नव–दम्पत्तियों को आशीर्वाद

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ झाबुआ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में हुए 700 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री नाथ ने सभी नव दम्पत्तियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के जरिए गरीब वर्गों को दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब प्रत्येक नव–दम्पत्ति को 51 हजार रुपये सहयोग राशि दी जा रही है। उन्होंने नव–दम्पत्तियों को फलदार पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलवाया।

140 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि–पूजन

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने झाबुआ प्रवास के दौरान 140 करोड़ 15 लाख 47 हजार लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि–पूजन किया। इनमें बी. टी. रोड, गौ–शाला निर्माण, नदी पुनर्जीवन, निस्तार तालाब, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, सी.सी. रोड, बैराज निर्माण, नल–जल योजना तथा महाविद्यालय भवन का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हितलाभ वितरित किए।

इस मौके पर पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी और पूर्व सांसद श्री कांतिलाल भूरिया उपस्थित थे।

राज्य शासन की योजनाओं का लाभ लेना ग्रामीणों का अधिकार

'आपकी सरकार–आपके द्वार' अभियान में गाँवों में पहुँचे मंत्री श्री जीतू पटवारी

भोपाल। राज्य शासन ने सम्पूर्ण ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिये देवास एवं शाजापुर जिले से ''आपकी सरकार–आपके द्वार'' अभियान प्रारंभ किया है। दोनों जिलों में अभियान संचालन की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्री श्री जीतू पटवारी को सौंपी गई है। देवास और शाजापुर जिलों से प्राप्त फीडबेक के बाद मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा अभियान को पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा।

देवास और शाजापुर जिले के प्रभारी, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी अभियान के अंतर्गत देवास जिले के ग्राम खोलचीपुरा और पोलाखाल तथा शाजापुर जिले में फरड़ गाँव पहुँचे और रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं से रू–ब–रू हुए। श्री पटवारी ने ग्रामीणों से कहा कि शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आपका अधिकार है। इसके लिये आप सबको जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में ग्रामीणजन सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिये यह अभियान चलाया जा रहा है। श्री पटवारी ने कहा कि ''आपकी सरकार–आपके द्वार'' अभियान का उद्देश्य गाँव में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है। ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में

विस्तार से बताना है, योजनाओं का लाभ दिलवाना है।

ग्रामीणों ने बताई समस्याएँ

मंत्री श्री जीतू पटवारी जब स्थानीय मालवी भाषा में ग्रामीणों से रू–ब–रू हुए, तो ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में सब कुछ बताया। श्री पटवारी ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से ग्राम पंचायत में संचालित आँगनवाड़ी की जानकारी ली और अधूरी आँगनवाड़ी को जल्द पूरा कराने के निर्देश भी दिये। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, राशन की दुकान से खाद्यान्न वितरण, गाँव में शौचालय निर्माण के संबंध में ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा की।

12वीं पास बच्चे जरूर जायें कॉलेज

उच्च शिक्षा मंत्री ने ग्रामीणों का आव्हान किया कि बच्चों को रोज स्कूल जरूर भेजें। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा बच्चों की बेहतर उच्च शिक्षा के लिये कॉलेज चलो अभियान चलाया जा रहा है।

जनता की सलाह और साझेदारी से होगा पानी बचाने का काम

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का जनता के नाम संदेश

भोपाल। प्रदेश में जनता की सलाह और भागीदारी से पानी बचाने का काम होगा। राज्य स्तर पर एक जल प्रकोष्ठ गठित किया गया है। इसकी जिम्मेदारी सचिव स्तर के अधिकारी को दी गई है। आम नागरिक 'वाटर सेल' के ई–मेल आई.डी watercellmp@gmail.com पर पानी बचाने से संबंधित गतिविधियों पर अपनी राय दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जनता के नाम जारी संदेश में पानी को सहेजने और नए जल स्त्रोतों को विकसित करने के लिए अपने अनुभव और सुझाव साझा करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पानी बचाने के काम में युवा शक्ति समितियाँ गठित कर युवाओं को पानी बचाने का दायित्व सौपेंगे और एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे। उन्होने युवाओं से जल दूत बनने आग्रह किया है ।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि वाटर सेल पानी को सहेजने और उसके किफायती उपयोग की रणनीति तय करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले समय में पानी को बचाने और जल राशि बढ़ाने के लिए अब जो भी काम होंगे, वह प्रदेश के नागरिकों की सलाह और साझेदारी के साथ होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि पानी सबके लिए अनिवार्य जरूरत है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए यह जरूरी है कि पानी के संरक्षण के काम में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वे जलदूत के रूप में काम करें। युवाओं की सोच, नजरिए और जोश से पानी की हर बूँद को बचाकर हम उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अपने–अपने क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों में पानी के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करें। पानी को रोकने के लिए अधिक से अधिक काम करने में योगदान दें।

बड़े पैमाने पर करें पौधा–रोपण

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूखा एक प्राकृतिक प्रकोप है। इस पर किसी का कोई बस नहीं हैं लेकिन सूखे से निपटने की ताकत और ऊर्जा सभी लोगों में है। इसलिए हम सब मिलकर पानी बचाने का काम करके इस संकट का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बरसात में बारिश का पानी गाँव में ही रोकने के लिए जरूरी सभी काम हम सब लोगों को करना होगा। बड़ी–बड़ी योजनाओं की बजाए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर तालाबों, चैकडेम, खेत–तालाबों परकोलेशन तालाब, मेढ़–बंधान, कुँआ रिचार्ज जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण काम हमें मिलकर करना होंगे। बड़े पैमाने पर पौधा–रोपण करें और उन्हें सिंचित करने के साथ सुरक्षित भी रखें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बड़े किसानों से आग्रह किया है कि वे स्वयं के खेतों में अपने पैसे से पानी रोकने के लिए खेत, तालाब और भू–जल रिचार्ज का काम करें।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि जल संरक्षण के लिए सरकार ने विभिन्न शासकीय योजनाओं में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। पंचायत और जन–प्रतिनिधि इस दिशा में सजग होकर अपने–अपने क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर पानी को बचाने का कार्य करवाएँ। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी निधि का उपयोग पानी सहेजने के काम पर प्राथमिकता से करें। मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की है कि प्रदेश को पानीदार बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में हर व्यक्ति संकल्पित और समर्पित होकर काम करेगा।

विकास कार्यों में एक हेक्टेयर से अधिक स्वीकृति के लिये केन्द्र को भेजेंगे प्रस्ताव

वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने की विभागीय समीक्षा

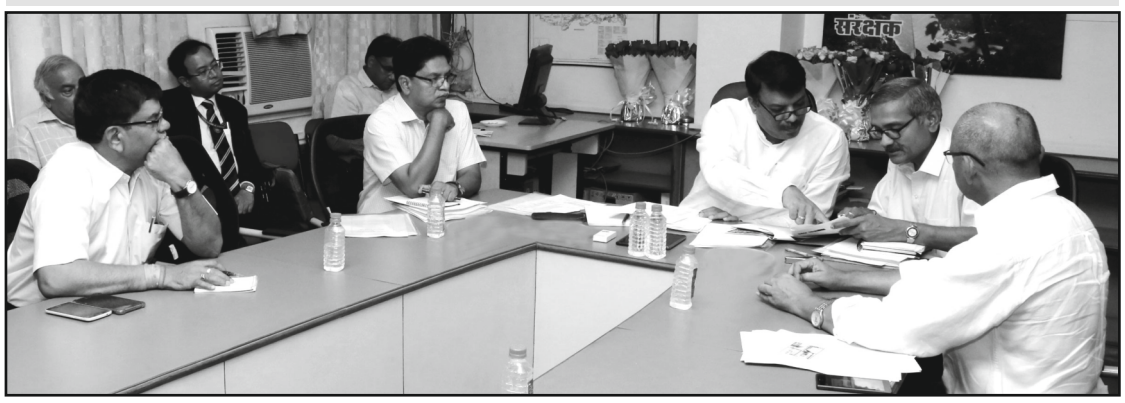

भोपाल। वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने कहा है कि विकास कार्यों में राज्य शासन के पास मात्र एक हेक्टेयर तक वन भूमि स्वीकृति के अधिकार हैं, इसे बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। साथ ही इस आशय का पत्र भारत के अन्य राज्यों को भी भेजा जाएगा। इससे वन क्षेत्र में जरूरी विकास कार्यों में गति आयेगी। श्री सिंघार ने आज मंत्रालय में वन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिये। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री जे.के. मोहंती भी मौजूद थे।

मंत्री श्री सिंघार ने दो–दिवसीय समीक्षा के पहले दिन आज विकास, वन्य–प्राणी, अनुसंधान विस्तार एवं लोक–वानिकी, संयुक्त वन प्रबंधन, वन भू–अभिलेख संरक्षण और उत्पादन प्रभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पेड़–पौधों की निगरानी के लिये जीआईएस आधारित सेटेलाइट इमेजरी व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके द्वारा सतत मॉनीटरिंग से पौधों का विकास और अवैध कटाई पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। मंत्री ने कहा कि विभाग स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराये। इससे भी अवैध कटाई पर अंकुश लगेगा।

वन विभाग के पास 9 करोड़ से अधिक पौधे तैयार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार डॉ. पी.सी. दुबे ने बताया कि वन विभाग के पास 9 करोड़ 21 लाख 9 हजार 282 पौधे उपलब्ध हैं। इस मानसून में 5 करोड़ पौधों की माँग है। माँग के उपरांत बचे हुए पौधे अगले वर्ष तक और मजबूत स्थिति में पहुँच जायेंगे। प्रदेश में विलुप्त होती 20 प्रजातियों के पौध–रोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रोपणियों में पॉलीथिन के स्थान पर रूट ट्रेनर और रासायनिक खाद के बदले वर्मी कम्पोस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्री श्री सिंघार ने इस मानसून के लिये एक करोड़ सीड बॉल तैयार करने के निर्देश दिये। अब तक प्रदेश में 60 लाख सीड बॉल तैयार किये जा चुके हैं।

मंत्री श्री सिंघार ने नील गायों से खेतों को बचाने के लिये ऐसे पौधों पर शोध करने के निर्देश दिये, जो नील गाय को निहायत नापसंद हों, ताकि खेत के बाहरी हिस्से में इनको लगाकर बिना नील गाय को नुकसान पहुँचाये फसल बर्बादी को रोका जा सके। बैठक में बताया गया कि 53 वन समितियों में गौ–शालाओं का निर्माण किया जा रहा है। वन मंत्री ने अवैध उत्खनन, अतिक्रमण की बीटवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। श्री सिंघार ने कहा कि प्रदेश में वन अपराधों की दृष्टि से 1923 अति–संवेदनशील और 2583 संवेदनशील वन बीट हैं।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना

लाभान्वित कृषक शकुंतला ने मुख्यमंत्री श्री नाथ को दिल से दिया आशीर्वाद

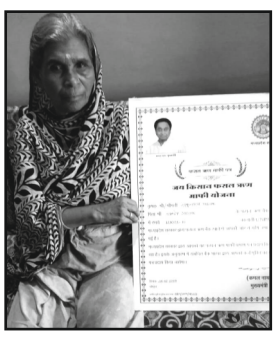

भोपाल। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के सरकारी विज्ञापन की मुख्य किरदार बैतूल जिले की श्रीमती शकुंतला अड़लक ने कहा है कि 28 फरवरी 2019 का दिन उनके जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन था, जब एक लाख 23 हजार 73 रुपये 10 पैसे का फसल ऋण माफ करने वाला प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मुझे सौंपा। श्रीमती अड़लक ने कहा कि उस दिन मैंने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को दिल से आशीर्वाद दिया। बैतूल जिले के ग्राम गौठाना निवासी 70 वर्षीय श्रीमती शकुंतला विधवा हैं। उनकी ग्राम साईखेड़ा में लगभग 5 एकड़ खेती है। उन्होंने खेती–किसानी के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से 80 हजार रुपये का ऋण लिया था। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने वचन–पत्र के अनुसार जब प्रदेश के 48 लाख से अधिक किसानों की फसल ऋण माफी का निर्णय लिया, तब श्रीमती शकुंतला अड़लक भी लाभान्वित हुईं।

मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी 2019 को बैतूल में आयोजित एक कार्यक्रम में श्रीमती शकुंतला अड़लक को ऋण माफी का प्रमाण पत्र सौंपा। श्रीमती अड़लक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे प्रमाण पत्र देते हुए पूछा कि आप खुश हो, तो मैंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं ऋण मुक्त हो गई हूँ। मुझे उस दिन दोहरी खुशी मिली थी। एक तो मुख्यमंत्री ने मुझसे अपनों जैसी बात की और दूसरे मेरे सिर से कर्ज उतर गया।

बैतूल जिले में लगेंगे काजू के बगीचे एक हजार हेक्टेयर में होगी व्यावसायिक खेती

भोपाल। बैतूल जिले में बड़े पैमाने पर किसानों के खेतों में इस वर्ष काजू के बगीचे लगवाये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि बैतूल प्रदेश का पहला जिला है, जहाँ वर्ष 2018–19 से काजू की व्यावसायिक खेती प्रारंभ की गई है। इस वर्ष बैतूल में एक हजार हेक्टेयर में किसानों के खेतों में काजू के बगीचे लगाये जाने का कार्यक्रम है।

कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि ड्रिप सहित काजू लगाये जाने पर रोपण के दूसरे साल से उत्पादन प्रारंभ होता है। रोपण के 6–7 साल बाद व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। प्रति पेड़ औसतन 15 से 20 किलो काजू का उत्पादन होता है। ग्रेडिंग के अनुसार कच्चा काजू 100 से 125 रुपये प्रति किलो की दर पर आसानी से बिक जाता है। काजू प्र–संस्करण के लिये बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी में छोटी प्र–संस्करण इकाई भी स्थापित की गई है। जिले में काजू की व्यावायिक खेती के लिये राष्ट्रीय काजू एवं कोको विकास निदेशालय केरल के कोच्चि द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदाय किया जा रहा है।

प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम से प्राप्त दावों का लगभग सौ प्रतिशत निराकरण

अब तक 2 लाख 55 हजार 152 हक प्रमाण–पत्र वितरित

भोपाल। मध्यप्रदेश में अनुसूचित–जनजाति और अन्य परम्परागत वन–निवासियों को उनकी काबिज भूमि पर अधिकार–पत्र सौंपने का कार्य वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकार समितियों द्वारा सत्यापित दावों का 99.98 प्रतिशत निराकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 2 लाख 66 हजार 208 मान्य दावों में से 2 लाख 55 हजार 152 दावेदारों को उनकी काबिज भूमि के हक प्रमाण–पत्र वितरित किये जा चुके हैं। शेष 11 हजार 56 दावेदारों के हक प्रमाण–पत्रों के वितरण की प्रक्रिया प्रचलन में है।

वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम–स्तर पर ग्राम वन अधिकार समिति, उपखण्ड–स्तर पर उपखण्ड–स्तरीय वन अधिकार समिति और जिला–स्तर पर जिला–स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि वन अधिकार समिति, ग्रामसभा एवं उपखण्ड–स्तर पर गठित समिति द्वारा सत्यापित दावों का 100 प्रतिशत निराकरण किया गया है। केवल जिला–स्तर पर 122 दावों का निराकरण लंबित है, जिसे अतिशीघ्र निराकृत कर लिया जायेगा।

वन अधिकार अधिनियम–2006 एवं नियम 2008 के तहत 31 मई, 2019 तक प्रदेश में कुल 6 लाख 26 हजार 511 दावे प्राप्त हुए। इसमें 5 लाख 84 हजार 457 व्यक्तिगत और 42 हजार 54 सामुदायिक दावे शामिल हैं। कुल प्राप्त दावों में अन्य परम्परागत वर्ग के 26.39 प्रतिशत, आदिवासी वर्ग के 73.61 और वन अधिकार समितियों द्वारा सत्यापित, ग्रामसभा द्वारा पारित संकल्प, उपखण्ड समितियों द्वारा प्रस्तुत दावे शामिल हैं। जिला स्तर पर 122 लंबित दावों में से 118 अजजा और 2–2 अन्य परम्परागत वर्ग के और सामुदायिक दावे हैं। जिला–स्तरीय समितियों द्वारा निरस्त दावों की संख्या 3 लाख 60 हजार 181 और मान्य दावों की संख्या 2 लाख 66 हजार 208 है। मान्य दावों में से 2 लाख 55 हजार 152 में हक प्रमाण–पत्र वितरित किये जा चुके हैं। शेष 11 हजार 56 हक प्रमाण–पत्र वितरण की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। डिण्डोरी जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बैगा जनजाति की 7 बसाहटों में हैबीटेट राइट्स दिये गये हैं। इस मामले में मध्यप्रदेश देशभर में अग्रणी है।

इस मानसून प्रदेश को हरा-भरा बनाने का संकल्प लें सभी

"हरा प्रदेश– कूल प्रदेश" नारे के साथ पौध–रोपण कर प्रदेश को समृद्ध बनाएँ : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश के नागरिकों का आव्हान किया है कि इस मानसून में प्रदेश को हरा–भरा बनाने का संकल्प लें। हर नागरिक अपने आस–पास एक पौधा ज़रूर लगाए और उसे वृक्ष बनाने तक की जिम्मेदारी भी ले। उन्होंने वन विभाग सहित सभी विभागों से वृहद पौध–रोपण अभियान चलाने और उनके संरक्षण की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लगाये गये पौधों का हर साल सोशल आडिट भी हो। पौध–रोपण अभियान सिर्फ़ आँकड़ों की बाज़ीगरी तक ही सीमित ना हो।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि हमारा पर्यावरण जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण वृक्षों का कटना और नए वृक्षों का नहीं लग पाना है। आज वृक्षों की कटाई के कारण हमें तापमान में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर मानसून में पौध–रोपण की रस्म अदायगी न होकर हमें अपने पर्यावरण और भावी पीढ़ी के भविष्य की चिंता करते हुए वास्तविक रूप से पौध–रोपण अभियान से जुड़ना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में जितने वृक्ष लगाना बताए गए हैं, उनमें नर्मदा नदी के किनारे हुआ पौध–रोपण भी शामिल है। अगर ये पौधे सच्चे अर्थों में लगाए गए होते, तो आज हमारा प्रदेश पूरे देश में पर्यावरण के मामले में श्रेष्ठ और हरा–भरा प्रदेश होता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को अपने प्रदेश और भावी पीढ़ी के भविष्य की चिंता करना होगी।

हरा प्रदेश–कूल प्रदेश का संकल्प लें

मुख्यमंत्री नाथ ने कहा है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि सड़कों के निर्माण के टेंडर के साथ ही सड़क के दोनों और पेड़ लगाने का भी प्रावधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग सहित निर्माण से जुड़े सभी विभागों और विशेषकर कृषि, ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सहित अन्य विभागों को व्यापक पैमाने पर वर्षा ऋतु के दौरान पौध–रोपण अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और युवाओं को वृक्षों के महत्व और पर्यावरण में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक बनाने के लिये अभियान चलाया जाये,ताकि वे पौध–रोपण और वृक्षों की सुरक्षा के लिए संकल्पित हो सकें।

मुख्यमंत्री ने पौध–रोपण अभियान में जन–भागीदारी के साथ ही सभी जन–प्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वे भी अपने–अपने स्तर पर वृहद पौध–रोपण करें। लोगों को प्रेरित करें। हर जन–प्रतिनिधि पौध–रोपण करे और उन्हें वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी भी ले। तभी हमारा हरा प्रदेश– कूल प्रदेश का संकल्प पूरा होगा।

प्रदेश के खाद्यान्न कोटे में बढ़ोत्तरी की जाये

केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री पासवान को भेजा पत्र

भोपाल। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भारत सरकार से माँग की है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदेश के खाद्यान्न कोटे में बढ़ोत्तरी की जाये। इस सिलसिले में श्री तोमर ने केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान को पत्र प्रेषित कर आग्रह किया है।

मंत्री श्री तोमर ने प्रेषित पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर हकदारी आधारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत देशवासियों को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न पोषण की सुरक्षा दी गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश की 75 प्रतिशत आबादी को सस्ती दर पर राशन मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदेश में कुल 5 करोड़ 46 लाख पात्र परिवारों को राशन मुहैया कराया जा रहा है जबकि यह संख्या वर्ष 2011 में प्रदेश की कुल जनसंख्या 8 करोड़ 23 लाख की मात्र 66 प्रतिशत ही है। श्री तोमर ने कहा कि नतीजतन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सस्ती दर पर पात्र परिवारों को राशन मुहैया कराने में राज्य सरकार को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिसूचित प्राथमिकता परिवारों में पात्र होने पर भी पात्र व्यक्तियों को लक्षित सार्वजनिक प्रणाली हकदारी नहीं मिल पाती है क्योंकि उन्हें केन्द्रीय योजना की निर्धारित खाद्यान्न आवंटन सीमा से बाहर होने के कारण सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यूनाइटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्लॉन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक तय किये गये सब्स्टेंशियल डेव्हलपमेंट गोल में जीरो हंगर की सहमति भारत सरकार द्वारा दिये जाने का भी अपने पत्र में जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न आवंटन सीमा अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 5 करोड 46 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत समस्त प्राथमिक परिवारों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अनेक न्यूट्रिशियन गणनाओं में भी यह निष्कर्ष सामने आया है कि एक वयस्क व्यक्ति को पर्याप्त पोषण के लिये एक माह में न्यूनतम 8 किलो खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया है कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही खाद्यान्न की मात्रा वास्तविक आवश्यकता से 3 किलो कम है। श्री तोमर ने माँग की है कि अंत्योदय अन्न योजना के लिये हितग्राहियों को 35 किलो के स्थान पर 45 किलो प्रति परिवार खाद्यान्न दिया जाना चाहिये।

खाद्य मंत्री श्री तोमर ने केन्द्रीय मंत्री श्री पासवान से आग्रह किया है कि अधिनियम अंतर्गत प्राथमिक प्राप्त परिवार को दिये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा 5 किलो प्रति सदस्य से बढ़ाकर 8 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह तथा अंत्योदय अन्न योजना के लिये हितग्राहियों को 45 किलो प्रति परिवार की जाये ताकि हितग्राहियों को पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त हो सके।

आजीविका मिशन से आत्म–निर्भर बनी डाबरसा गाँव की कमलेश बैरवा

भोपाल। श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत पानड़ी के ग्राम डाबरसा की कमलेश पत्नि जगदीश बैरवा पाँचवी कक्षा तक पढ़ी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर इन्होंने अंबेड़कर स्व–सहायता समूह बनाया और गाँव में आटा चक्की शुरू की। आज

कमलेश आटा चक्की का पूरा खर्चा निकालने के बाद सालाना 2 लाख रूपये से अधिक आमदनी प्राप्त कर रही है। आटा चक्की का व्यवसाय शुरू करने से पहले कमलेश की गरीबी उसके लिये चिन्ता का विषय थी। पैतृक जमीन पर खेती से तीन बच्चों के परिवार का पालन–पोषण कठिन हो गया था। जब इन्हें म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व–रोजगार शुरू करने के बारे में मदद मिलने का पता चला, तो इन्होंने गॉव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर ष्अम्बेडकर स्व–सहायता समूहष् बनाया।

घर बैठे मिलेगी उपलब्ध पौधों की जानकारी

भोपाल। वन विभाग ने प्रदेश के किसानों और नागरिकों को घर बैठे पौधे विभिन्न पौधों की उपलब्धता की जानकारी देने के लिये ऑनलाइन आवेदन सुविधा आरंभ की है। अब लोग एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल <http:@@mpforest-mponline-gov-in> पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की सुविधा एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क पर भी उपलब्ध है। इसमें वन विभाग की 170 नर्सरी से पौधे मिल सकेंगे। आवेदन मिलने पर वन विभाग उनकी माँग के अनुसार अनुमोदन करेगा। आवेदकों और संबंधित नर्सरी के अधिकारियों को एसएमएस के माध्यम से इसकी जानकारी दी जायेगी। इसके बाद आवेदक संबंधित नर्सरी को नगद भुगतान कर पौधे प्राप्त कर सकते हैं।ऑनलाइन प्रक्रिया से किसानों और आवेदकों को प्रदेश की रोपणियों में उपलब्ध विभिन्न प्रजाति के पौधे और उनकी संख्या के बारे में घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पौधे और जानकारी मिल जायेगी।

सप्ताह में दो दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय में बैठेंगे पटवारी

राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने की वचन–पत्र के क्रियान्वयन की समीक्षा

भोपाल। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने आज मंत्रालय में वचन–पत्र की विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि पटवारी सप्ताह में दो दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय में अनिवार्य रूप से बैठेंगे। अनुपस्थित पाये जाने वाले पटवारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पटवारी के बैठने का दिन कलेक्टर स्वयं निर्धारित करेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधित लंबित मामलों में लीज का उपयोग शर्त के अनुरूप नहीं होने पर भूमि वापस लेकर अन्य उपयोगी कार्यों के लिये लीज पर दी जाएगी।

श्री राजपूत ने कहा कि प्राकृतिक आपदा और अग्नि दुर्घटना आदि की स्थिति में फसल के मुआवजे स्वरूप लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत राहत वितरण एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 के पूर्व वितरित कृषि भूमि के

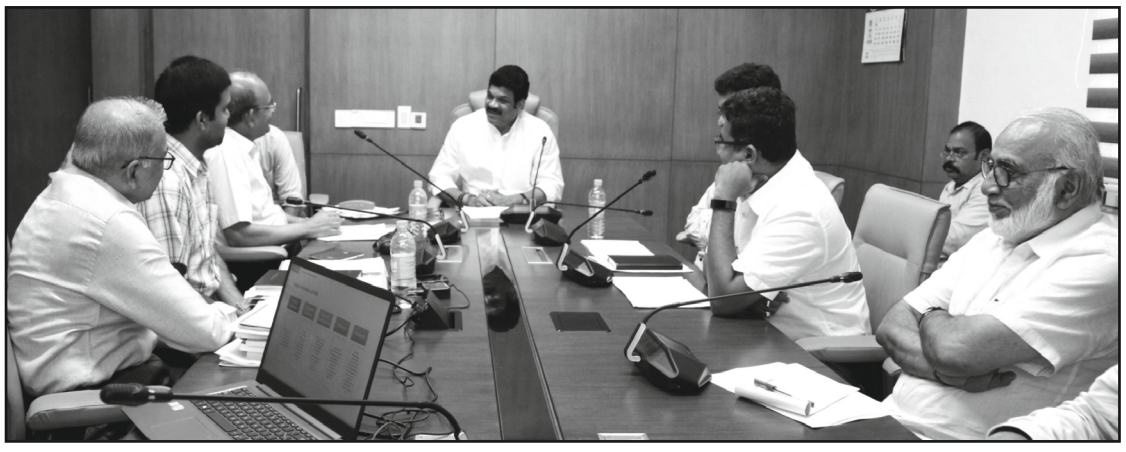

पट्टे की जमीन 10 साल बाद कलेक्टर की अनुमति के बाद ही हस्तांतरण की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। मजरे–टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने पर उस ग्राम को अपना स्वयं का नाम मिलेगा। श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में प्रथम राजस्व लोक अदालत 16 फरवरी 2019 को आयोजित की गई थी। समय–समय पर यह लोक अदालतें आयोजित की जाती रहेंगी। उन्होंने बताया कि डायवर्सन की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से भू–राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है। भू–स्वामी ऑनलाईन पोर्टल पर अपना टैक्स प्रीमियम सीधे जमा कर सकेंगे।

राजस्व मंत्री ने बताया कि गो–चर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिये कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में अजजा वर्गों के भू–स्वामी की भूमि गैर अजजा वर्ग के व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में विक्रय के लिये कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होगी। राजस्व ग्राम की सीमाओं को स्थायी रूप से चिन्हित करने एवं बंदोबस्त की अधूरी व्यवस्था को पूर्ण करने के लिये कोर्स आधारित पायलट प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने, सीमा विवाद एवं छोटे–बड़े झाड़ के जंगल को वन की परिभाषा से अलग करने के लिये वे वन मंत्री के साथ चर्चा करेंगे। ग्राम कोटवारों की समस्याओं, उनके वेतन भत्ते में वृद्धि आदि मुद्दों पर शीघ्र ही बैठक कर निर्णय लिया जायेगा। सीलिंग की अतिशेष भूमि को गौ–अभयारण्य की स्थापना एवं वृक्षारोपण के लिये शासकीय एवं स्थानीय संस्थाओं को दी जा सकेगी।

बैठक में कृषि भूमि के पंजीयन के लिये टाइटलिंग प्रणाली को लागू करने पर भी चर्चा हुई। इसके अनुसार भूमि के पंजीयन, रकबा, खसरा, मालिकाना–हक के पंजीकृत होने से भूमि के पंजीयन पर कोई अविश्वसनीयता अथवा संदेह नहीं रहेगा। बताया गया कि शहरों एवं ग्रामों में चक आबादी में बसे लोगों को स्थायी पट्टा देने के लिये पुनरू दिशा–निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी, श्री एम. सेलवेन्द्रन, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मंडी बोर्ड द्वारा छह माह में 1155 हितग्राही को 9.56 करोड़ की राशि का प्रदाय

भोपाल। राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पिछले छह माह में विभिन्न योजनाओं में 1155 हितग्राहियों को 9 करोड़ 56 लाख की राशि से लाभान्वित किया है। इनमें ''मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना'' में 299 कृषकों को राशि 9 करोड़ 40 लाख, मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना में लायसेंसी 490 हम्माल एवं तुलावटियों को 9 लाख तथा मंडी प्रांगण में उपज विक्रय करने वाले 366 कृषकों को कृषि विपणन पुरस्कार योजना में 7 लाख 3 हजार की राशि प्रदाय की गयी है।

किसानों को 2 लाख तक का नगद भुगतान

बोर्ड द्वारा किसानों के भुगतान जोखिम को देखते हुए व्यापारियों को उपज क्रय करने पर उसी दिन दो लाख रूपये तक के नगद तथा इससे अधिक राशि होने पर शेष राशि का उसी दिन ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है। एक से अधिक मण्डियों में व्यापार करने की आवेदन फीस को दस हजार रूपये से घटाकर एक हजार तथा लाइसेंस फीस को 2 लाख से घटाकर 20 हजार रूपये कर दिया गया है। कृषि उपज क्रय मात्रा की अधिकतम सीमा और प्रतिभूति राशि को भी आनुपातिक रूप से कम किया गया है।

मक्का किसानों को 514 करोड़ की भावांतर राशि

फ्लैट भावान्तर भुगतान योजना में 2 लाख 60 हजार 499 मक्का किसानों को पात्रतानुसार 514 करोड़ 45 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदाय की गई है। कृषि अनुसंधान एवं अधोसरंचना विकास निधि से विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान 17 करोड़ 70 लाख, गौ–सरंक्षण एवं संवर्धन के लिए गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को 20 करोड़ की अनुदान राशि के साथ ही कृषक सम्मेलन, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि के लिए अनुदान 50 लाख 53 हजार रूपये का प्रदाय किया गया है। ''जय किसान समृद्धि योजना'' में प्रदेश सरकार किसानों का गेहूँ केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य 1840 रूपये प्रति क्विंटल से 160 रूपये अधिक, 2000 रूपये प्रति क्विंटल में खरीद रही है। श्श्मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजनाश्श में अब तक 2 लाख 32 हजार मीट्रिक टन प्याज का पंजीकृत किसानों ने मण्डी में विक्रय किया है।

मण्डी व्यापारी सम्मान योजना–2019 लागू

बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक श्री फैज अहमद किदवई के अनुसार राज्य शासन द्वारा इसी माह से लायसेंसी मण्डी व्यापारियों को सम्मानित करने के लिए ''मण्डी व्यापारी सम्मान योजना–2019'' प्रारंभ की गयी है। ई–उपार्जन योजना में पंजीकृत कृषकों को मण्डी प्रागंण के अंदर तथा बाहर स्थित सभी उपार्जन केन्द्रों पर ''मुख्यमंत्री कृषक भोजन'' योजना का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का लाभ मंडी प्रांगण में कार्यरत लायसेंसी हम्माल और तुलावटियों को भी दिया जा रहा है। मण्डी समितियों में कार्यरत् 50 वर्षीय लायसेंसी हम्माल और तुलावटियों का वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

नये आदिवासी छात्रावासों के भवन निर्माण के लिये लगभग 95 करोड़ स्वीकृत

एमपीटास से 21 हजार विद्यार्थियों को 18.67 करोड़ छात्रवृत्ति का ऑनलाइन वितरण

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा विगत 6 माह में 15 नए सीनियर छात्रावास भवन निर्माण के लिये 3312.40 लाख, 8 महाविद्यालयीन छात्रावास भवन के लिये 1766.40 लाख एवं 20 विशेष पिछड़ी जाति के छात्रावास भवन के लिये 4400 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। अभी तक 2 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 48 छात्रावास, 50 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 30 आश्रम शाला भवन सहित 130 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

प्रदेश में आदिवासी छात्र–छात्राओं के लिए प्रारंभ की गई पेपरलेस स्व–सत्यापित प्रक्रिया (MPTAAS) से प्रथम वर्ष के लगभग 21 हजार विद्यार्थियों को 18.67 करोड़ छात्रवृत्ति वितरित की गई है। साथ ही, JEE, NEET, CLAT में सफल 46 विद्यार्थियों को 23 लाख रुपये उनके खाते में सीधे ऑनलाइन जमा कराये गये हैं।

राज्य शासन द्वारा 89 आदिवासी विकासखण्डों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए हाट–बाजारों में बैंक एटीएम स्थापित किए गए हैं। इसके लिये पायलट प्रोजेक्ट के साथ केन्द्र शासन से 12 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई गई है।

वनाधिकार के निरस्त दावेदारों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेदखल करने के आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा कार्यवाही को स्थगित कराया जाकर 'वन मित्र' सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुनरू परीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

आदिवासी क्षेत्रों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी की पहल की गई है। भारत सरकार के टेलीकॉम मंत्रालय को प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंडों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

आदिवासी छात्रों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों में तेजी लाते हुए 134 आश्रम शालाओं में अंग्रेजी शिक्षण सहायकों के लिए 12 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इसी के साथ 1546 छात्रावास अधीक्षकों को ऑनलाइन हॉस्टल संचालन का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के सिकिल सेल अनीमिया से पीड़ितों के इलाज के लिए 3.12 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। आयुष विभाग के माध्यम से पीड़ितों की हौम्योपैथी चिकित्सा कराई गई है।

नीदरलैंड सरकार द्वारा कृषि एवं खाद्य प्र-संस्करण में निवेश विषयक सेमिनार सम्पन्न

भोपाल। मुख्य सचिव श्री सुधि रजंन मोहन्ती ने कहा है कि मध्यप्रदेश ने कृषि उत्पादन में अपनी श्रेष्ठता स्थापित की है। प्रदेश अब औद्योगिकरण की ओर अग्रसर है। नीदरलैंड औद्योगिक प्रणालियों में श्रेष्ठ है। कृषि उत्पादन और औद्योगिक तकनीक का परस्पर समन्वय मध्यप्रदेश और नीदरलैंड दोनों के लिए लाभप्रद होगा। श्री मोहन्ती आज यहाँ नीदरलैंड सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्र–संस्करण के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर आयोजित सेमीनार को सम्बोधित कर रहे थे। होटल जहांनुमा में आयोजित सेमिनार में नीदरलैंड के काउंसल जनरल श्री गुईडो टैलमैन, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस.के. बसंल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों सहित खाद्य प्र–संस्करण, भण्डारण, कोल्ड स्टोरेज, उन्नत बीजों के विकास के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की स्पष्ट मान्यता है कि जो उद्योग प्रदेश के स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार देंगे, उन्हें सरकार अधिक छूट प्रदान करेगी। उन्होंने कहा की प्रदेश में सात जलवायु क्षेत्र है। यहाँ अनाज, दलहन, तिलहन और मसालों सहित फल और उद्यानिकी का उत्पादन प्रचुरता में होता है। इनके भण्डारण और प्र–संस्करण के लिए उपयुक्त तकनीक उपलब्ध कराने से प्रदेश के किसानों और तकनीक उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों को समान लाभ होगा। श्री मोहन्ती ने प्रदेश की अधोसंरचनागत क्षमता और संसाधनों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाऊस, साईलो सहित खाद्य प्र–संस्करण के क्षेत्र में नीदरलैंड की कम्पनियों के लिए अच्छी संभावनाएँ हैं।

सेमिनार को नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस.के. बसंल ने भी सम्बोधित किया। कृषि के उन्नत तरीकों, उद्यानिकी, पुष्प उत्पादन, ग्रीन हाऊस निर्माण और पशुपालन और खाद्य प्र–संस्करण पर आयोजित विशेष सत्र में विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे।

75 प्रतिशत आबादी को हर माह सस्ता राशन : मंत्री श्री तोमर

प्रत्येक माह एक रूपये प्रति किलो की दर से 2.90 लाख मी. टन गेहूँ–चावल वितरण

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदेश की 75 प्रतिशत आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से रियायती दर पर राशन मुहैया कराया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र की 62.61 प्रतिशत अर्थात् एक करोड़ 25 लाख 59 हजार 357 जनसंख्या तथा ग्रामीण क्षेत्र में 80.10 प्रतिशत अर्थात् 4 करोड़ 20 लाख 82 हजार 857 जनसंख्या को इस योजना से जोड़ा गया है। इस प्रकार प्रदेश के कुल 75.26 प्रतिशत आबादी अर्थात् 5 करोड़ 46 लाख 42 हजार 214 लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रति माह 24 हजार 170 राशन दुकानों के माध्यम से 2.90 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जा रहा है।

मंत्री श्री तोमर ने बताया कि शहरी और ग्रामीण अंचल में 24 केटेगरी में खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। अंत्योदय परिवार में एक लाख 65 हजार बी.पी.एल. में 6 लाख 48 हजार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत 7 लाख 60 हजार सायकल रिक्शा चालक कल्याण, 35 हजार ठेला चालक 3 लाख 28 हजार मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना हितग्राही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक 3 लाख 87 हजार 90 हजार 307, 553 कुली घरेलु काम वाले 28 हजार 562 फेरीवाले 19 हजार 991 वनाधिकार पट्टेधारी, बीडी श्रमिक रेल्वे में पंजीकृत, 16 हजार मझडी के हम्माल व तुलावटी, 8 हजार 520 बन्द पड़ी मिलों के श्रमिक 65 हजार 154 कल्याण निधि 3142, भूमिहीन कोटवार 8 हजार 204 कुटीर एवं ग्रामोद्योग के तहत पंजीकृत एक लाख 25 हजार 567 केश शिल्पी 30 हजार बहुविकलांग 545 एड्स संकमित, म.प्र. में निवासरत अनुसूचित जाति के परिवार जो कर्मचारी है पर आयकरदाता नहीं है, 17 लाख 48 हजार ऐसे परिवार जो एक हजार 108 मत्स्य पालन परिवार और 5 हजार 627 पंजीकृत व्यवसायिक वाहन चालक/परिचालक परिवारों को एक रूपये प्रति किलो के मान से गेहूँ और चावल तथा एक रूपये प्रति किलो के मान से ही आयोडीन नमक मुहैया कराया जाता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के साथ लगेंगी आधुनिक मशीने

डाक्टरों के साथ शीघ्र होगी पैरा–मेडिकल स्टॉफ की भर्ती : मंत्री श्री सिलावट

भोपाल। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि डॉक्टरों के रिक्त पदों के लिये भर्ती की प्रक्रिया जारी है। डॉक्टरों के साथ कम्पाउडर, नर्स, तकनीशियन आदि पैरा–मेडिकल स्टॉफ की भर्ती भी शीघ्र की जायेगी। श्री सिलावट ने आज इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि अस्पतालों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जायेगा। जर्जर हो चुके स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के स्थान पर नये भवन बनाये जायेंगे। अस्पतालों में स्वास्थ्य परीक्षण के लिये नई मशीनें लगाई जायेंगी। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक विकसित और जवाबदेह बनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 10 जून से 20 जुलाई तक 5 वर्ष आयु के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार के लिये दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य दल घर–घर पहुँचकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। श्री सिलावट ने कहा कि पोषण पुनर्वास केन्द्र पर बच्चे और माँ को उचित गुणवत्ता का भोजन–पोषण आहार वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिये कि महिला–बाल विकास के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी महीने में कम से कम एक बार संयुक्त बैठक कर कुपोषण दूर करने के अभियान की समीक्षा करें। श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग को बीमारियों पनपन से पहले ही उनके रोकने प्रभावी पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षा के दौरान लोगों को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया आदि बीमारियों की गिरफ्त में आने से बचाने के लिये उपचार के साथ–साथ उन्हें इन बीमारियों से बचने के उपाय भी बताना चाहिए। नगर निगम के सहयोग से फॉगिंग करवायें, तालाबों में गम्बूशिया मछली छोड़ने आदि उपाय करें।

सीमांकन, नामांकन–बँटवारा प्रकरणों को 15 दिन में निराकृत करें

मंत्री श्री सिलावट ने स्वास्थ्य विभाग के साथ इंदौर जिले में पेयजल, बिजली, राजस्व सहित अन्य विभागों के कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो। जहाँ ट्रांसफार्मर खराब हों, तुरंत बदले जायें।

ग्रामीण कारीगरों को हुनरमंद बनाकर ऋण सहायता दिलवायें : मंत्री श्री यादव

भोपाल। कुटीर एवं ग्रामोद्योग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव ने कहा कि ग्रामीण कारीगरों को हुनरमंद बनाकर उन्हें ऋण सहायता मुहैया कराने की दिशा में ठोस कदम उठाये जायें। उन्होंने मंत्रालय कक्ष में हुई बैठक में बैंक स्तर पर स्व–रोजगार प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित कर वास्तविक हितग्राहियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। श्री यादव ने कहा कि विशेष रूप से उन हितग्राहियों को बैंकों से आवश्यक ऋण सहायता तत्परतापूर्वक उपलब्ध कराई जाये, जो अपने हुनर में दक्ष हो चुके हैं।

बैठक के दौरान मंत्री श्री यादव ने राज्य में मलबरी ककून उत्पादन, रेशम धागा निर्माण, सिल्क फेडरेशन के कार्यों, हस्तशिल्पियों को उत्पाद की ब्राण्डिंग में सहयोग, बुनकरों को ऋण सहायता, खादी उत्पाद विक्रय में छूट दिये जाने के प्रावधान तथा विंध्यावैली उत्पादों का विक्रय बढ़ाने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। श्री यादव ने विभागीय गतिविधियों में तेजी लाने की ताकीद की।

बैठक के दौरान एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत 18 क्लस्टर्स में इस वर्ष 600 हितग्राहियों को लाभान्वित करने की योजना के बारे में बताया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में इस वर्ष क्लस्टर विकास कार्यक्रम में करीब 5 करोड़ रुपये के व्यय से डायग्लोस्टिक स्टडी, कौशल विकास, विपणन सहायता, उत्पाद विकास और वित्तीय सहायता के कार्य किये जायेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग मो. सुलेमान भी उपस्थित थे।

आदिवासी हितों के संरक्षण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध

पूर्ववर्ती सरकार में निरस्त हुए पट्टों पर पुनर्विचार किया जाएगा : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासियों के हितों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। इसलिए हमने सरकार में आते ही पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में साढ़े तीन लाख से अधिक आदिवासियों के पट्टे के जो आवेदन निरस्त किए गये थे, उन पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। श्री नाथ ने ये बात पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आए एक प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान कही। प्रतिनिधि मंडल में बुधनी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी शामिल थे।

पूर्ववर्ती सरकार में निरस्त हुए थे 3 लाख 55 हजार आवेदन

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि हमारी सदैव नीति रही है कि आदिवासी वर्ग का न केवल सर्वांगीण विकास हो, बल्कि परम्परा से उन्हें मिले अधिकारों का संरक्षण भी हो। श्री नाथ ने बताया कि वनाधिकार कानून 2006 यूपीए सरकार ने लागू किया था। इस कानून के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 6 लाख 25 हजार आवेदन पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में आए थे। इनमें से 3 लाख 55 हजार आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। नई सरकार ने इन सभी आवेदनों का पुनरीक्षण कर पात्र कब्जा धारियों को वनाधिकार पत्र देने का काम शुरू किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यही नहीं, हमने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 2000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 2500 रुपये की है। सरकार के इस निर्णय से तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य में लगे आदिवासियों को प्रति बोरा 500 रुपये का लाभ मिला है। यह राशि पूर्व में बैंकों के माध्यमों से तेंदूपत्ता श्रमिकों को दी जाती थी, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी। नई सरकार ने यह निर्णय लिया कि तेंदूपत्ता संग्रहण की राशि का संग्राहक को नगद भुगतान किया जाएगा।

श्री कमल नाथ ने कहा कि आज आदिवासी वर्ग को उनके पारंपरिक अधिकार देने और उनका संरक्षण करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सर्वविदित है। इसलिए आदिवासी परिवारों के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

संविदाकर्मियों की माँगों और अभ्यावेदनों का परीक्षण करेगी तीन सदस्यीय समिति

भोपाल। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में कर्मचारी कल्याण के लिये गठित मंत्रि–परिषद समिति की बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई। समिति द्वारा अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों और अन्य संविदाकर्मी संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन और माँगों पर विचार–विमर्श किया गया।

मंत्रि–परिषद समिति ने निर्णय लिया कि अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति विभिन्न कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सभी ज्ञापन, माँग–पत्र और अभ्यावेदन का परीक्षण कर दो सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मंत्रि–परिषद की अगली बैठक में समिति की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श के बाद कर्मचारी हितैषी निर्णय लिये जायेंगे।

बैठक में गृह मंत्री श्री बाला बच्चन, जनजातीय कार्य मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री पी.सी. मीना तथा अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन शामिल हुए।

प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी के क्रियान्वयन में देवास जिला अव्वल

भोपाल। उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री तथा देवास जिले के प्रभारी श्री जीतू पटवारी ने बताया है कि प्रदेश के देवास जिले में सर्वाधिक पात्र किसानों को जय किसान ऋण माफी योजना से लाभान्वित किया गया है। जिले में कुल 2 लाख 27 हजार 718 आवेदन प्राप्त हुए। पहले चरण में 62 हजार 628 पात्र किसानों के लगभग 139.41 करोड़ के फसल ऋण माफ किये गये। श्री पटवारी ने आज देवास में जिला योजना समिति की बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जय किसान ऋण माफी योजना में लाभान्वित 57 हजार 869 कृषकों की सूची क्षेत्रीय सांसद को सौंपी।

मंत्री श्री पटवारी ने बताया कि डिफाल्टर किसानों को भी खाद, बीज और नये ऋण की सुविधा दी जा रही है। जिले में अब तक 69 हजार 516 किसानों को 110.38 करोड़ ऋण वितरण किया जा चुका है। जिले की समितियों के पास 17 हजार 980 मीट्रिक टन खाद और उर्वरक उपलब्ध है। प्रभारी मंत्री श्री पटवारी ने निर्देश दिये कि शासन के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खाद, बीज एवं नया ऋण सुगमता से उपलब्ध हो। यदि कहीं समितियों द्वारा गड़बड़ी की जा रही हो, तो संबंधितों के विरुद्ध जाँच कर कड़ी कार्रवाई भी की जाये।

कम लागत में अच्छी आमदनी का जरिया बनी फूलों की खेती

भोपाल। सागर जिले के जैसीनगर विकासखण्ड के ग्राम चैनपुरा एवं मन्कयाई के किसान पूरे साल नवरंगा(गैलर्डिया),गेंदा और डेजी फूल की खेती कर रहे हैं। इन किसानों के लिये कम लागत में अच्छी आमदनी का जरिया बन गई है फूलों की खेती।नवरंगा फूल की खेती से किसान दो माह में ही आधा एकड़ क्षेत्र से करीब एक लाख रूपये की फसल सागर मंडी में बेच लेते हैं। इस फूल की खेती में ज्यादा मेहनत जरूरी नहीं होती। इसमें विशेष दवाई आदि की भी जरूरत नहीं पड़ती। केवल शुरूआत में 4 से 5 बार पानी देना पड़ता है। ग्राम चैनपुरा के किसान शशिकांत पटेल ने एक एकड़ में नवरंगा फूल लगाया है। इस समय वे प्रतिदिन एक से डेढ़ क्विंटल तक फूल की पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। फूलों की बिक्री से उन्हें प्रतिदिन दो से ढाई हजार रूपये की आमदनी हो रही है। इसी गांव के किसान देवी सिंह ने 60 डेसिमल में नवरंगा फूल लगाया है, जिसमें बीज की कीमत सहित कुल चार हजार रूपये की लागत आई है। ये सागर मंडी में एक से डेढ़ क्विंटल नवरंगा फूल की बिक्री कर लेते है। देवी सिंह को अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी में पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-

डी.सी.ए. मात्र 8100/-

न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल

ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039

फोन.–0755 2725518, 2726160 फेक्स–0755 2726160

Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैंदान, इंदौर

फोन : 0731-2410908, 9926451862

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा

डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।